न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0) एक्ट, सोनभद्र

पीठासीनः आबिद शमीम, (एच0जे0एस0),(जे0ओ0 कोड नं0–6259),

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–286 सन् 2026

आलोक तिवारी व अन्य बनाम राज्य

थाना–राबर्ट्सगंज, जनपद सोनभद्र

17.02.2026

1. आवेदक/अभियुक्तगण **आलोक तिवारी** पुत्र सिद्धनाथ तिवारी तथा **रोहित तिवारी** पुत्र राम निहोर तिवारी की ओर से सेशन केस संख्या–1030 सन् 2025 (मु0अ0सं0–646/2025), धारा–115(2), 352, 324(2), 351(2) भा0 न्याय संहिता एवं धारा–3(2)5क एवं 3(1)द, ध अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, थाना राबर्ट्सगंज, जनपद सोनभद्र के मामले में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र पेश हुआ।

2. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत मामले में न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 03.02.2026 के अनुसार आवेदक/अभियुक्तगण को आज तक अंतरिम जमानत पर रिहा किया गया है। अभियुक्तगण द्वारा आज आत्मसमर्पण किया गया है।

3. प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन कथानक का सारांश संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी मुकदमा राहुल हरिजन की ओर से दिनांक 09.05.2025 को थाना राबर्ट्सगंज, जनपद सोनभद्र में इस आशय की तहरीर दाखिल की गयी कि वह श्रद्धा सबुरी ढाबा स्थित चण्डी होटल राबर्ट्सगंज, सोनभद्र में मैंनेजर के पद कार्यरत है और अनुसूचित जाति का व्यक्ति है। उसके गांव के आलोक तिवारी अपने बहनोई रोहित तिवारी व चार अज्ञात के साथ दिनांक 16.05.2025 को समय 12:10 बजे रात को ढाबा पर खाना खाने आये और ढाबा में शराब पीने लगे। वादी ने शराब पीने से मना किया तो आलोक तिवारी व उसके साथी उसको जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करके गालियां देते हुए मारे पीटे तथा जान से मारने की धमकी दिये। वादी मुकदमा ने 112 नम्बर पर फोन किया, पुलिस आयी परन्तु उन लोगों के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की।

4. वादी मुकदमा की ओर से प्रस्तुत उपरोक्त तहरीर के आधार पर थाना राबर्ट्सगंज, जनपद सोनभद्र में दिनांक 19.06.2025 को मु0अ0सं0–646 सन् 2025 पर अभियुक्तगण के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया तथा बाद विवेचना आवेदक/अभियुक्तगण सहित अन्य अभियुक्तगणों के विरूद्ध उपरोक्त वर्णित धाराओं में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

5. आवेदक/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र पर बल देते हुए कथन किया गया कि आवेदक/अभियुक्तगण द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है, उन्हें रंजिशन फंसाया गया है। वादी मुकदमा द्वारा रंजिशन यह मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। आवेदक/अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अतः उन्हें जमानत पर रिहा किया जावे।

6. जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई हेतु वादी मुकदमा को नोटिस जारी किया गया जो उस पर तामील हुआ है।

Digitally signed by ABID SHAMIM
Date: 2026.02.17 18:24:58 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court
Sonbhadra

7. विद्वान विशेष लोक अभियोजक के द्वारा सम्बन्धित थाने की आख्या के आधार पर जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए कथन किया गया कि अभियुक्तगण द्वारा यह जानते हुए कि वादी मुकदमा जो कि अनुसूचित जाति का है, को अन्य सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर मार पीट कर उपहति कारित की गयी तथा वादी मुकदमा को जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करके गालियां एवं धमकी दी गयी। मामला गम्भीर प्रकृति का है। अतः जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने की याचना की गयी है।

8. जमानत प्रार्थना पत्र पर उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया तथा थाने की आख्या एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

9. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में आवेदक/अभियुक्तगण के विरूद्ध उपरोक्त वर्णित धाराओं में आरोप पत्र प्रेषित किया गया है। तहरीर में कथित घटना दिनांक 16.05.2025 की बतायी गयी है तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 19.06.2025 को दर्ज कराया गया है। पत्रावली पर वादी मुकदमा का चिकित्सकीय परीक्षण आख्या संलग्न है जो कि कथित घटना के लगभग दो माह बाद दिनांक 21.07.2025 को कराया गया है। अभियोजन की ओर से आवेदक/अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः सम्पूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए तथा मामले के गुण–दोष पर कोई टिप्पणी व्यक्त किए वगैर मेरे द्वारा आवेदक/अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किए जाने का पर्याप्त आधार पाया जाता है। तद्नुसार आवेदक/अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

–:आदेशः–

आवेदक/अभियुक्तगण **आलोक तिवारी तथा रोहित तिवारी** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

आवेदक/अभियुक्तगण प्रत्येक द्वारा **चालीस–चालीस हजार रूपये** का स्वबन्ध पत्र तथा समान धनराशि की दो–दो जमानतें दाखिल करने पर उन्हें जमानत पर रिहा किया जाता है।

(आबिद शमीम),
विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0) एक्ट,
सोनभद्र

दिनॉक–17.02.2026